इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 8 | मार्च, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
विनियामक के कथन.....4
उत्पाद एवं गठजोड़.....5
आर्थिक संवेष्टन.....6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....8
नयी पहलकदमी.....9
बाजार की खबरें.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें- 6 से 8 फरवरी, 2024

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 6 से 8 फरवरी, 2024 को आयोजित हुई। उक्त बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर 6.5% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- स्थायी जमा दर (SDF), सीमांत स्थायी दर (MSF) और बैंक दर क्रमश: 6.25%, 6.75% और 6.75% पर अपरिवर्तित रखी गईं।
- इलेक्ट्रोनिक व्यापार/क्रय-विक्रय (electronic trading) प्लेटफार्मों के लिए विनियामक ढांचे का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- निवासी संस्थाओं/कंपनियों को भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (IFSC) में काउंटर पर (OTC) खंड में सोने की कीमत को प्रतिरक्षित/की बचाव व्यवस्था (hedge) करने की अनुमति दी जाएगी।
- खुदरा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) ऋणों एवं अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- आधार समर्थित भुगतान सेवा (AePS) प्रदाताओं की ज्ञान-प्राप्ति (onboarding) प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाना तथा कुछेक अतिरिक्त धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन उपायों का लागू किया जाना।
- खराब और कमतर इन्टरनेट संयोजकता (connectivity) वाले स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने हेतु केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी/मुद्रा (CBDC) – खुदरा में पायलट बैंकों के माध्यम से ऑफ़लाइन कार्यप्रणाली की चरणबद्ध रीति से शुरूआत की जाएगी।

जलवायु से संबन्धित वित्तीय जोखिमों पर मसौदा प्रकटन ढांचा, 2024

जलवायु परिवर्तन तथा उससे जुडी भौतिक क्षतियों को ध्यान में रखते हुये विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए यह आवश्यक है कि वे जलवायु से जुडी सुदृढ़ वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीतियां कार्यान्वित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं (lenders) के लिए जलवायु से जुड़े वित्तीय जोखिमों पर हितधारकों (stakeholders) से 30 अप्रैल, 2024 तक अभ्युक्तियाँ आमंत्रित की हैं। ये दिशानिर्देश निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं के लिए लागू होंगे- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर), समस्त टियर 4 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCBs) समस्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, समस्त शीर्ष एवं ऊपरी परत वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)। विदेशी बैंक ये प्रकटन भारत में उनके परिचालन के अनुरूप करेंगे। इसके ऊपर वर्णित विनियमित संस्थाओं को छोडकर अन्यों के मामले में इन दिशानिर्देशों का अंगीकरण (adoption) स्वैच्छिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ताओं को ग्राहकों के लिए कार्ड नेटवर्कों के चयन का विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ताओं को उन कार्ड नेटवर्कों के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था अथवा करार न करने का निदेश दिया है जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्कों की सेवाएँ प्राप्त करने से रोकते हों। इस निदेश के अनुसार कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड जारी करते समय अपने पात्र ग्राहकों को कई एक/बहुविध नेटवर्कों में से एक विकल्प का चयन करने का विकल्प प्रदान करना होगा। मौजूदा कार्डधारकों के मामले में इस विकल्प को आगामी नवीकरण के समय प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों में गैर-कार्यपालक निदेशकों (NEDs) के पारिश्रमिक की उच्चतम सीमा पूर्ववर्ती 20 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। यह परिवर्तन इन गैर कार्यपालक निदेशकों द्वारा बैंक के बोर्ड एवं समितियों की कुशल कार्यप्रणाली में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करने के बाद तथा भविष्य में इस कार्य के लिए अर्हताप्राप्त एवं सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह निर्णय लघु वित्त बैंकों (SFBs), भुगतान बैंकों (PBs) तथा विदेशी बैंकों की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक/समनुषंगी कंपनियों सहित सभी निजी बैंकों पर लागू होगा। बैंक का बोर्ड बैंक के आकार, गैर

कार्यपालक निदेशक के अनुभव तथा अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर 30 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के भीतर कोई कमतर रकम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने वार्षिक विवरण में अपने निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन करें।

धन अंतरण सेवा योजना – केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पर विवरण का प्रस्तुतन

ऐसे सभी प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना (Money Transfer Service Scheme) के तहत भारतीय एजेंट हैं, के लिए यह आवश्यक था कि वे विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (XBRL) प्लेटफार्म का उपयोग करते हुये धन अंतरण सेवा योजना के माध्यम से प्राप्त विप्रेषणों की मात्रा के संबंध में एक विवरण (वह जिससे संबन्धित हो उस तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर) प्रस्तुत करें। अब, भारतीय रिजर्व बैंक के अगली पीढ़ी के डाटा महाभंडार यथा- केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) की शुरूआत के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि मार्च, 2024 में समाप्त होने वाली तिमाही से उपर्युक्त विवरण की रिपोर्टिंग केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पर की जाएगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली संशोधित की, बैंकेतर भुगतान समाकलकों को शामिल किया

भुगतान भूदृश्य में हो रहे द्रुत परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System) निदेशों के उस ढांचे को संशोधित कर दिया है जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा। इन दिशानिर्देशों के अनुसार (सैद्धान्तिक रूप से प्राधिकरणों सहित) भुगतान समाकलकों (Payment Aggregators) के रूप में प्राधिकृत बैंकेतर भुगतान समाकलक परिचालन इकाइयों के रूप में भारत बिल भुगतान प्रणाली में सहभागिता कर सकते हैं। भारत बिल भुगतान प्रणाली की परिचालन इकाइयों (BBPOUs) के रूप में प्राधिकृत अन्य बैंकेतर कंपनियों/संस्थाओं के अतिरिक्त सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक भारत बिल भुगतान प्रणाली में सहभागिता कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विनियामक सैंडबाक्स योजना संशोधित की

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहभागिता करने वाली संस्थाएं/कंपनियाँ डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण मानदंडों का पालन करें, विनियामक सैंडबाक्स (Regulatory Sandbox) योजना के कुछेक दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार विनियामक सैंडबाक्स प्रक्रिया के विविध चरणों की सामयिकता संशोधित करके सात माह के स्थान पर नौ माह कर दी गई है। सैंडबाक्स संस्थाओं/कंपनियों को डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का पालन करना होगा। विनियामक सैंडबाक्स में प्रवेश हेतु लक्ष्यांकित आवेदक - स्टार्टअपों सहित फिंटेक कम्पनियाँ, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership), भागीदारी फ़र्में तथा वित्तीय सेवा व्यवसाय में भागीदारी अथवा सहायता करने वाली कोई भी अन्य कंपनी।

बैंक, बैंकेतर संस्थाएं/कंपनियाँ सार्वजनिक परिवहन हेतु पूर्व-प्रदत्त लिखत जारी कर सकते/सकती हैं

मासिक टिकट वालों (commuters) को पारगमन सेवाओं के लिए सुविधा, गति, वहनीयता तथा डिजिटल भुगतान की सुरक्षित विधियां उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (Prepaid Payment Instruments) जारीकर्ता बैंकों और बैंकेतर संस्थाओं/कंपनियों को इन लिखतों को सार्वजनिक परिवहन के लिए उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने हेतु पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों से संबन्धित मास्टर निर्देश को संशोधित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद बैंक एवं बैंकेतर संस्थाएं/कंपनियाँ विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों यथा- मेट्रो, बसों, रेल और जल मार्गों (waterways), पथ करों (tolls) एवं पार्किंग के लिए पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारी कर सकते/सकती हैं। इन लिखतों में पारगमन सेवाओं की कार्यप्रणाली के साथ स्वचालित किराया वसूली, पथ कर वसूली और उसके साथ ही पार्किंग प्रभार की वसूली के अनुप्रयोग (application) शामिल होंगे। धारकों के 'अपने ग्राहक को जानिए (KYC)' सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए डाटा प्रस्तुतीकरण मानदंड समेकित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और चुनिन्दा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी विवरणियाँ प्रस्तुत करने हेतु एक मास्टर निदेश जारी किया है। इस मास्टर निदेश में इन विवरणियों के उद्देश्य को समझने तथा उनके प्रस्तुतन हेतु सामयिकता को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए एक अपेक्षाकृत व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया गया है। इसमें कुछेक ऐसे अनुदेशों को हटा दिया गया है जो अप्रचलित हो चुके हैं तथा स्पष्टता और अनुपालन संबंधी भार में कमी लाने के लिए डाटा प्रस्तुतन के संबंध में विद्यमान बीस अनुदेशों को समेकित कर दिया गया है। इस संशोधित ढांचे में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए एक मास्टर निदेश का भी समावेश है।

गिफ्ट, आईएफएससी में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाएँ आईआईबीएक्स पर क्रय-विक्रय कर सकती हैं- भारतीय रिजर्व बैंक का कथन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गिफ्ट-भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (IFSC) में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं को अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार (International Bullion Exchange) आईएफएससी लिमिटेड (IIBX) के व्यापारिक सदस्य (Trading Member) अथवा व्यापारिक एवं समाशोधन सदस्य (Trading and Clearing Member) के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। सोने या चाँदी को आयातित करने हेतु प्राधिकृत भारतीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार आईएफएससी लिमिटेड (IIBX) की विशिष्ट श्रेणी वाले ग्राहक के रूप में कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार आईएफएससी लिमिटेड के व्यापारिक सदस्य व्यापारिक एवं समाशोधन सदस्य केवल ग्राहकों की ओर से (स्वामित्वपूर्ण व्यापार के बिना) व्यापार/क्रय-विक्रय करेंगे। उक्त सर्राफा बाजार में किए जाने वाले समस्त ग्राहक व्यापार/क्रय-विक्रय खरीदे जाने वाले सोने-चाँदी/बुलियन के अपेक्षित मूल्य (मात्रा एवं गुणवत्ता संबंधी निर्धारण) यथा प्रयोज्य बैंक के खाते में 110% निधियों की अग्रिम प्राप्ति (क्रय आदेश) तथा प्रतिभूतियों (विक्रय आदेश) के समक्ष होंगे।

विनियामक के कथन

वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग, साहचर्य आवश्यक; भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

दक्षिण-पूर्व के केंद्रीय बैंकों (SEACEN) के गवर्नरों के 59वें सम्मेलन में मुख्य व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित बहुविध चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीयता (multilateralism), वैश्विक सहयोग एवं समन्वय के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनसे निपटने की संभाव्यता विद्यमान है, वहीं भौगोलिक-राजनीतिक तनावों के रूप में व्याप्त अनिश्चितताओं एवं आपूर्ति शृंखला के विदारण की अनदेखी नहीं की जा सकती।

श्री दास ने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि सभी केंद्रीय बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे मूल्यगत एवं वित्तीय स्थिरता की प्राप्ति की दिशा में सक्रिय बने रहें। सामान्य हित के क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तन जैसी तात्कालिक जरूरतों के प्रति सहयोग विकसित किए जाने की आवश्यकता है। संभाव्य वित्तीय स्थिरता के निहितार्थों को ध्यान में रखते हुये आर्थिक गतिविधि में विदारण (disruption) और वृद्धि की संभाव्यता के क्षय से बचने के लिए एक निर्विघ्न एवं व्यवस्थित हरित संक्रमण (green transition) आवश्यक है। अपने सम्बोधन में उन्होंने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और लागत में कमी के जरिये प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यान्वित किए गए विविध सुरक्षोपायों पर बल देते हुये डिजिटल सार्वजनिक मूलभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure) का उपयोग किए जाने (harnessing) के संबंध में भारत के अनुभव को रेखांकित किया।

निवल वैश्विक मांग बढ़ाने में दक्षिण-पूर्व के देश सहायक : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री पात्रा

दक्षिण-पूर्व के केंद्रीय बैंकों (SEACEN) के गवर्नरों के 59वें सम्मेलन में व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री

माइकल देबव्रत पात्रा ने साग्रह कहा कि एशिया अवस्फीति (disiflation) की स्थिति में कायम रहेगा तथा केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से संरेखण का उद्देश्य तीव्र गति से उसकी पहुँच के भीतर है। यह कहते हुये कि दक्षिण-पूर्व के केंद्रीय बैंकों की सदस्यता विश्व की जनसंख्या के 45% का प्रतिनिधित्व करती है, डा॰ पात्रा ने यह रहस्योद्घाटन किया कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनकी अर्थव्यवस्थाओं का अंशदान सदी की शुरूआत में 9% से बढ़कर 2023 में 27% के प्रभावशाली (whooping) स्तर पर पहुँच गया। क्रय शक्ति समता की दृष्टि से दक्षिण-पूर्वी देशों के केंद्रीय बैंकों के सदस्यों की हिस्सेदारी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की 1/3 से अधिक है। यह वृद्धि को बढ़ाने में घरेलू संसाधनों के महत्व को रेखांकित करता है, इस प्रकार यह निवेश एवं विकास के लिए उक्त क्षेत्र की आंतरिक संसाधनों पर निर्भरता को अधोरेखित करता है।

दक्षिण-पूर्व देशों के केंद्रीय बैंकों का समूह व्यापारिक वस्तुओं (merchandise) के वैश्विक आयात के 28% का अवशोषण (absorb) करता है, इस प्रकार वह निवल वैश्विक मांग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र को उसके निधीयन स्रोतों को व्यापक आधार प्रदान करना चाहिए : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री राव

भारतीय उद्योग महापरिसंघ (Confederation of Indian Industry) द्वारा मुंबई में आयोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैंक उधारों पर निर्भरता, समकक्षीय (Peer to Peer) ऋणदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली निरातप/छायादार (shady) व्यवसाय प्रथाओं तथा सूक्ष्मवित्त ऋणदाताओं द्वारा वसूल की जाने वाली अवहनीय रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित हो रहे व्यवसाय जोखिमों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के प्रति शीर्ष बैंक का विनियामक दृष्टिकोण वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने तथा ग्राहकों को संरक्षित रखने के लिए गतिविधि-आधारित एवं संस्था/कंपनी-आधारित विनियमनों द्वारा निर्देशित रहा है। चुनौतियों के बारे में बात करते हुये श्री राव ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह विवेकपूर्ण नहीं है कि वे अपने समस्त निधीयन स्रोतों को संकेंद्रित रखें, क्योंकि तनावपूर्ण घटनाओं के दौरान उनकी निधियाँ एकाएक समाप्त हो सकती हैं। इसके बजाय उन्हें अपने निधीयन स्रोतों को व्यापक आधार वाला बनाना चाहिए तथा बैंक ऋण पर अतिशय निर्भरता (over-dependence) में कमी लाना चाहिए।

अंत में, श्री राव ने उक्त क्षेत्र की प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों और परिचालनात्मक विदारणों तथा उनके साथ ही अन्य पक्ष की भागीदारियों (third-party partnerships) पर उनकी बढ़ती निर्भरता की ओर ध्यान आकर्षित किया।

डिजिटलीकरण, प्रभावी सम्प्रेषण ने भारत के वित्तीय भू-क्षेत्र को बदल दिया है : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री राव

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने कहा है कि वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण, नए व्यवसाय मॉडेलों, फिंटेक के आविर्भाव तथा बदलते बैंकिंग भू-दृश्य के कारण भारत के वित्तीय भू-दृश्य का मूलभूत रूप से रूपान्तरण हो गया है।

परोक्ष व्यस्तता (remote engagement) अधिक सामान्य बात हो गई है तथा उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कर्मचारियों को कार्य-क्षेत्रों में गतिशील रूप से पुनर्भिनियोजित (redeploy) किया गया है।

उन्होंने यह कहते हुये कि आज के गतिशील विश्व में अधिदेशों की प्रभावी सुपुर्दगी के लिए नीतियों, विनियमों एवं औचित्य को अत्यंत स्पष्ट रूप से तथा अस्पष्टता के बिना संप्रेषित करने की योग्यता अपेक्षित होती है। इस परिप्रेक्ष्य में श्री राव ने यह कहा कि पिछली दशाब्दियों में भारतीय रिजर्व बैंक का सम्प्रेषण भी अधिक पारदर्शी हो गया है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
इन्वेस्टर एजूकेशन एंड प्रोटेक्सन फंड ऑथोरिटी	डीबीएस बैंक	अंतिम प्रयोक्ताओं के बीच निवेश और कपटपूर्ण योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलाना

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, जनवरी, 2024 की मुख्य बातें

- भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिमों के समान रूप से संतुलित रहने के परिणामस्वरूप भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के वित्त वर्ष 25 में 7% की दर से बढने का पूर्वानुमान लगाया है।
- जनवरी, 24 में खुदरा मुद्रास्फीति (inflation) घटकर 5.1% के रूप में तीन माह के कमतर स्तर पर आ गई।
- वित्त वर्ष 25 के लिए राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.1% के रूप में बजटीकृत किया गया है, यह वित्त वर्ष 24 के 5.8% (संशोधित अनुमानों) से कम है। यह कमी व्यय के पुनर्प्राथमिकीकरण (reprioritization) एवं सुदृढ़ राजस्व वसूली द्वारा चालित है।
- वित्त वर्ष 24 के पहले 10 महीनों के दौरान तिजारती (merchandise) निर्यात एवं आयात में क्रमश: 4.9% और 6.7% का संकुचन हुआ।
- वर्ष के दौरान चालू खाते का घाटा (Current Account Deficit) के सकल घरेलू उत्पाद के 1.4% रहने की आशा है।
- वित्त वर्ष 24 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) अंतर्वाह पिछले वर्ष के (-) 5.5 बिलियन अमरीकी डालर के बहिर्वाह (outflow) की तुलना में 33.3 बिलियन डालर रहा।
- विश्व बैंक के अनुसार 2024 में 135 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित आवक विप्रेषणों के परिणामस्वरूप भारत वैश्विक स्तर पर विप्रेषणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहेगा, इसमें 8% की वृद्धि के साथ वैश्विक आवक विप्रेषणों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 15% है।
- प्रत्यक्ष कर वसूली तथा करेतर राजस्व वसूली में क्रमश: 23.2% (वर्षानुवर्ष) और 45.8% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि हुई।
- अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में दर्ज 25.1% की तुलना में 37.5% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई।
- उद्यम पोर्टल पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का पंजीकरण जनवरी, 2021 के 65 लाख से बढ़कर 9 फरवरी, 2024 के दिन 2.3 करोड़ हो गया, जो पिछली अवधि के स्तर से तीन गुणी वृद्धि दर्शाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अधीन पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या जुलाई, 2020 में 2.8 करोड़ थी तथा वह 9 फरवरी, 2024 के दिन 15.3 करोड़ रही, जो 5.3 गुणी वृद्धि दर्शाती है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 फरवरी, 2024 के दिन करोड रुपए	23 फरवरी, 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5135344	619072	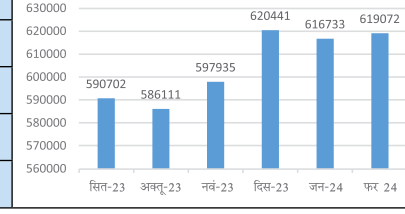
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4547374	548188	
1.2 सोना	396913	47848	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150946	18197	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	40111	4839	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2024 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दर
अमरीकी डालर	5.31
जीबीपी	5.1877
यूरो	3.905
जापानी येन	-0.006
कनाडाई डालर	5.0100
आस्ट्रेलियाई डालर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.694975

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डालर	5.50
स्वीडिस क्रोन	3.895
सिंगापुर डालर	3.7501
हांगकांग डालर	3.73024
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.5160

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

विनियामक सैंडबॉक्स

आम तौर पर विनियामक सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox) एक नियंत्रित/परीक्षण वाले विनियामक वातावरण में नए उत्पादों अथवा सेवाओं के लाइव परीक्षण (live-testing) को कहा जाता है जिसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कुछेक विनियामक छूटों की अनुमति दे सकते या नहीं दे सकते हैं। विनियामक सैंडबॉक्स विनियामक, निवेशकों, वित्तीय सेवा-प्रदाताओं (प्रौद्योगिकी के संभाव्य परिनियोजकों के रूप में) तथा ग्राहकों (अंतिम प्रयोक्ताओं के रूप में) को नए वित्तीय नवोन्मेषो के लाभों और जोखिमों के संबंध में उनके जोखिमों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखते और उनका निरोध (contain) करते हुये साक्ष्य जुटाने हेतु क्षेत्र परीक्षण (field tests) करने में समर्थ बनाता है। यह विनियामक के लिए पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के साथ संलग्न होने तथा ऐसे नवोन्मेष-समर्थक अथवा नवोन्मेष-अनुकूल विनियमन तैयार करने के लिए ऐसा संरचित मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो सुसंगत, किफ़ायती वित्तीय उत्पादों की सुपुर्दगी को सुगम बनाए।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

एकमुश्त बड़ा अंतिम भुगतान (Balloon Payment)

बलून पेमेंट (Balloon Payment) एक ऐसी एकमुश्त प्रधान शेषराशि होती है जो ऋण की अवधि के अंत में देय होती है। प्रारम्भ में उधारकर्ता चुकौती अवधि के अंत में बड़े एकमुश्त भुगतान के साथ काफी छोटे मासिक भुगतान (जैसे कि केवल ब्याज का भुगतान किया जाता है) करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च, 2024 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	11 से 13 मार्च, 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों के आंतरिक लेखा-परीक्षकों के लिए कार्यक्रम	12 से 13 मार्च, 2024	
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	15 से 17 मार्च, 2024	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	20 से 22 मार्च, 2024	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ ने प्रमाणित वित्तीय योजनाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम हेतु एफपीएसबी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

संस्थान ने वित्तीय आयोजना व्यवसाय के लिए वैश्विक मानक–निर्धारण निकाय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय योजनाकर्ता (Certified Financial Planner) प्रमाणन कार्यक्रम के स्वामी फाइनैन्सियल प्लानिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड लिमिटेड की भारतीय सहायक कंपनी एफपीएसबी के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया है। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत जिन्होंने आईआईबीएफ से सीएआईआईबी अर्हता प्राप्त कर रखी है तथा बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में तीन वर्ष का वैध अनुभव अर्जित कर रखा है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाणित वित्तीय योजनाकर्ता प्रमाणन के पहले तीन मॉड्यूलों को उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त होगी तथा वे त्वरित मार्ग (Fast Track Pathway) के जरिये सीधे ही एफपीएसबी इंडिया के एकीकृत वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में प्रवेश करने के पात्र होंगे। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर आईआईबीएफ - आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है – मूल और उन्नत। यह पाठ्यक्रम आत्म-संगामी (self-paced) ई-शिक्षण के रूप में है जिसमें प्रत्येक भाग में लगभग 6 घंटों के शिक्षण का समावेश है। इसके बाद मूल्यांकन सत्र संचालित किया जाएगा। सफल पूर्णाहुति पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

13वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आयोजित 13वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान 16 फरवरी, 2024 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में सम्पन्न हुआ। उक्त व्याख्यान डॉ॰ अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा दिया गया। इस व्याख्यान का विषय था ''दि रोल आफ रेग्यूलेशन इन इकोनामिक डेवलपमेंट''। इस व्याख्यान में बैंकरों की उपस्थिति रही तथा श्रोताओं द्वारा उसकी अच्छी-ख़ासी सराहना की गई।

पीडीसी –पश्चिम अंचल का उदघाटन तथा महिलाओं की निर्वाचिका सभा

मेकर टावर, कफ परेड, मुंबई में संस्थान के व्यावसायिक विकास केंद्र (PDC) – पश्चिम अंचल कार्यालय का उद्घाटन 2 मार्च, 2024 को भारतीय बैंक संघ (IBA) के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता द्वारा किया गया। इसके बाद आगामी महिला दिवस मनाने के लिए एक महिला निर्वाचिका सभा (conclave) का आयोजन किया गया। इस वर्ष की विषय-वस्तु इंस्पायर इनक्लूजन (Inspire Inclusion) के आधार पर पैनल विचार-विमर्श का विषय था पैरिटी एट वर्कप्लेस (Parity at Workplace)। वक्तागण थे- सुश्री पोपी शर्मा, महा प्रबन्धक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सुश्री जयश्री मेनन, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय बैंक संघ, डॉ॰ करुणा अक्षय मालवीय, निदेशक, डी॰ वाई॰ पाटिल स्कूल ऑफ लॉ, डॉ॰ विनीता साल्वी, परामर्शी, प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान। उक्त समारोह में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से महिला कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक 2024 का तीसरा संस्कारण जारी किया

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक 2024 का तीसरा संस्कारण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों तथा बैंकिंग एवं वित्त में भिन्न-भिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये विनियामक परिवर्तनों का एक व्यापक डाइजेस्ट है। उक्त पुस्तक अमैजन पर पेपरबैक के रूप में तथा एक प्रेरक (kindle) संस्करण के रूप में उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन प्रकाशन (प्रा॰) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों में भी उपलब्ध है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूक्ष्म शोध प्रस्ताव तथा हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज शोध फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के लिए आवेदन आमंत्रित

'सूक्ष्म शोध' संस्थान के सदस्यों (बैंकरों) के लिए अपने मौलिक विचारों, मतों तथा उनकी रुचि के क्षेत्रों के संबंध में उत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करने हेतु एक निबंध प्रतियोगिता की भांति होता है तथा हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज शोध फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) सफल अभ्यर्थियों को बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में भारत या विदेशों में शोध अध्ययन करने का अवसर उपलब्ध कराती है। दोनों ही शोध योजनाएँ आईआईबीएफ के उन आजीवन सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं जो वर्तमान में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल, 2024 तक कर दी गई है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

जनवरी - मार्च, 2024 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Leveraging technology for effective credit appraisal.

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने–आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा मार्च, 2024 से अगस्त, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा सितम्बर, 2024 से फरवरी, 2025 की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2024 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

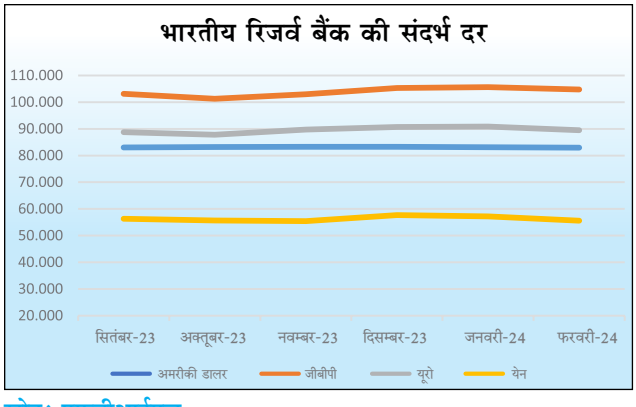

स्रोत: एफबीआईएल

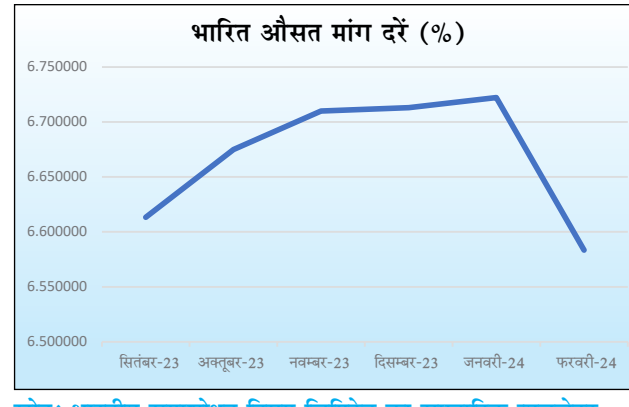

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

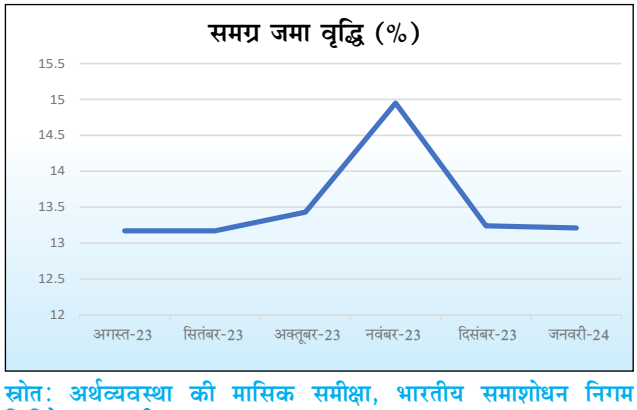

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2024

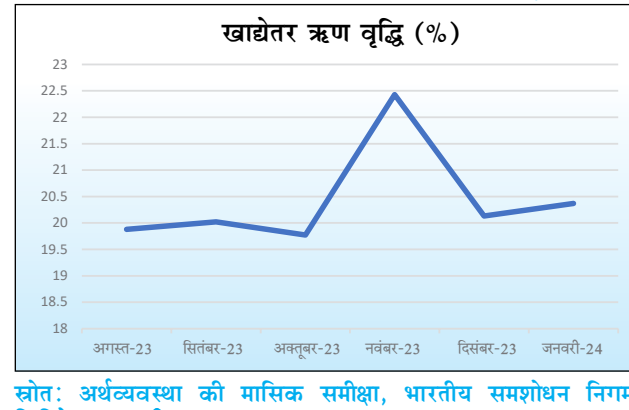

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2024

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

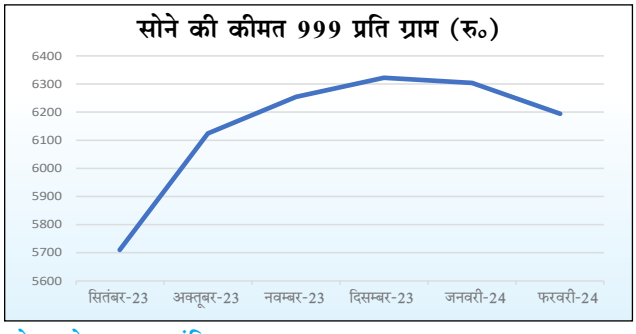

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

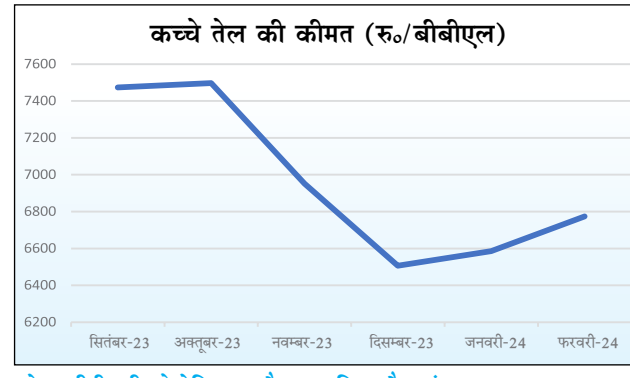

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

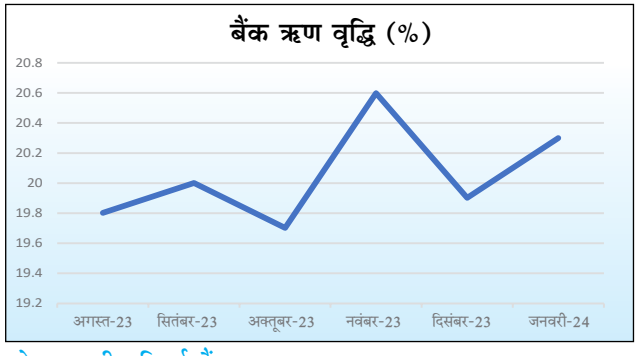

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

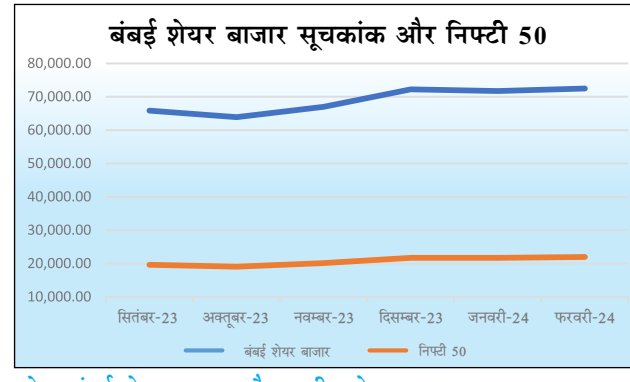

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in